संख्या-28/2020/486/26-3-2020

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 17 फरवरी 2020

विषयः- जी0एन0 होम्योपैथिक कालेज एण्ड हास्पिटल, बाराबंकी में वर्ष 2018-19 के 38 छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति एवं महर्षि विश्वविद्यालय, लखनऊ में वर्ष 2018-19 में अध्ययनरत् अनुसूचित एम0टेक0 (सिविल इंजीनियरिंग) के 04 छात्रों की छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति की लम्बित देयता के भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-4688/स0क0/शिक्षा-अ/3/151/2019-20, दिनांक-04.02.2020 एवं पत्रांक-3749/स0क0/शिक्षा-अ/2/1218/2019-20, दिनांक-07.01.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त जी0एन0 होम्योपैथिक कालेज एण्ड हास्पिटल, बाराबंकी में वर्ष 2018-19 के 38 छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि **रू0-18,46,800/- एवं** महर्षि विश्वविद्यालय, लखनऊ में अध्ययनरत् अनुसूचित एम0टेक0 (सिविल इंजीनियरिंग) के 04 छात्रों के 2018-19 के देयता के अन्तर की धनराशि **रू0-1,54,000/-** अर्थात कुल धनराशि **रू0-20,00,800/-(रू0-बीस लाख आठ सौ मात्र)** अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की लम्बित देयता के भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से भुगतान की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय
सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ0संख्या-28/2020/486/(1)/26-3-2020 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सतीश कुमार
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in